

राजस्व अपील प्र सं 40/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/11/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपर। वकील अपीलान्त द्वारा पत्रावली में वकालत हेतु समय चाहिए। वकील अपीलान्त को वकालत हेतु कालिग कवच ट दिया जाना है। पत्रावली आयुक्त दिनांक 12/12/2023 को पेश हो।</p> <p>अति. जिला कलेक्टर बाली (पाली)</p>	
12/12/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की और से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने वकालतनामा पेश किया। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब हेतु मौखिक निवेदन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर मौजूद रहने से अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझती है। दोनों पक्षों की और से बहस समाहित की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 05.08.2022 की आदेश तालिका का अवलोकन किया गया जिसमें आगामी पेशी 10.08.2022 अंकन है। अपीलार्थी अधिवक्ता का मूल रूप से न्यायालय का ध्यान इस और आकृष्ट करने की कोशिश की गई कि अपीलार्थी भूमिहीन है, एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित कृषि भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा है। अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे उक्त भूमि में नियमन की सिफारिश किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली के परिशीलन एवं विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, बेड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2022 को अपास्त किया जाना एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः आदेश पारित किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश अपास्त किया जाता है, एवं अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः नम्बर पर लेकर अपीलार्थी (गैर सायल) को नोटीस जारी कर सुनवाई का उचित अवसर देकर रिकॉर्ड इत्यादि का अवलोकन कर अपीलार्थी के प्रकरण के संबंध में नये सिरे से न्यायसंगत आदेश पारित करें।</p> <p>उक्त अनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, बेड़ा को रिमाण्ड किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला-पाली</p>	